महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-181एम/नौ-5-2014-139सा/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 23 जून, 2014

विषयः प्रादेशिक राजमार्गो व राष्ट्रीय राजमार्गो पर अनाधिकृत रूप से बनवाए गए गेटों को अभियान चलाकर हटाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विभिन्न स्रोतों, विशेषकर मा0 विधायकगणों से शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न नागर स्थानीय निकायों द्वारा प्रादेशिक राजमार्गो व राष्ट्रीय राजमार्गो पर अनाधिकृत रूप से गेट बनवाकर उनपर अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी तथा पार्षदों के नाम व फोटो लगवाये जा रहे हैं। निकायों में यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसे शासन ने गम्भीरता से लिया है।

2- उक्त प्रवृत्ति पर रोक लगाये जाने के क्रम में प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों/ जिला प्रशासन द्वारा निम्नांकित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः-

(1) जिन प्रादेशिक राजमार्गो व राष्ट्रीय राजमार्गो पर अनाधिकृत रूप से गेट लगवाकर उन पर निकाय के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/पार्षदों के नाम व फोटो लगवाये गये हैं, उन्हें अभियान चलाकर हटाया जाय।

(2) सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी शासन को आश्वस्त करेंगे कि इस प्रकार अनधिकृत रूप से बनवाए गए गेट हटा लिये गये हैं।

(3) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जाय।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन तथा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-181एम(1)/नौ-5-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मा0 महापौर/मा0 अध्यक्ष, नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, सूडा/नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
5. निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगासेल।
7. गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।